

**कार्यालय
समिच, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/3030/1971

लखनऊ, दिनांक: 16-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली कारन्टिनल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु शिक्षणीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तपरात प्राविधिक शिक्षा परिषद उसके संखनक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संवाहित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार-पाठ्यक्रम/प्रवेश समता गृह्णित करने में पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में क्षिप्रोगा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संवाहित करने वाली पूर्ण से सम्बद्ध संस्थाओं का पकटल रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया-

निजी क्षेत्र में स्थापित क्षिप्रोगा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संवाहित करने वाली संस्थाएं जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें यथानत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिव्ये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	क्र. सं.	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	पीसीआईओ /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	श्रीमती. चमक-देवी, शिक्षण संस्थान, सिद्धार्थ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-200210	क्षिप्रोगा इन कार्मेली	60	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने वाली होनी चाहिए।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान किया गया शिक्षण संस्था परिषद शिक्षणसंवानी 1982 के तहत मान्यताप्राप्त होनी चाहिए।
- संस्था का पाठ्यक्रम/प्रवेश समता प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने वाली होनी चाहिए।


PRINCIPAL
 Sr. Director Gov. Shriya Prasad College,
 Taha, Meerut, U.P. School, Sr. School

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ- दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय तार:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4105-SMT CHAMPA DEVI SHIKSHA PRAKSHISHAN
COLLEGE,PLOT/KHASRA NO.-190,204,STREET NO.210,VILL-TILaura (MAINAPAR),POST-
PALI,TEHSIL-SAHJNWA,GORAKHPUR-273209

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CHARDIOMANIPHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश

PRINCIPAL

Smt. Champa Devi Shiksha Prakhshishan College
Tilaura (Mainapari), Pal, Sahjanwa, Gorakhpur